



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियन्त्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०— छ०ग०/दुर्ग/चू०प०-२६/रायपुर

38 सी०एच०जी० ०५०१७

दिनांक :— 31/01/2019

प्रति,

श्री सुशील कुमार वाली, होल टाइम डायरेक्टर एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री जे० के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
एफ/2578, अंसल्स पाम विहार,
गुडगाँव — 122 017

विषय:— छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी जे० के० लक्ष्मी सीमेंट चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 267.695 हेठो में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10/12/2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बी० एल० भाटी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यूरा
नियम संख्या 11(1)	<p>The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. DRG/LST/MPLN-355/NGP/2016/31-RPR Raipur dated 21/07/2016 for the period of 2016-17 to 2018-19:</p> <p>Development F.Y. 2018-19: The production and development during 2018-19 has been proposed in Block I in-between UTM co-ordinates N2367920 to N2368150 and E541365 to E5414965 and in Block II in-between UTM Co-ordinates N2368610 to 2368900 and E542460 to E542860.</p> <p>Whereas, production and development during 2018-19 is being carried out in Block I in-between UTM co-ordinates N2367900 to N2368248 and E541296 to E542007 and in Block II in-between UTM Co-ordinates N2368582 to 2368840 and E542510 to E542800.</p> <p>Hence excess development in Block I is being done.</p> <p>Financial Assurance: In the table of Financial Assurance, it has been mentioned that 34.48 Ha. area will be utilized in all heads up to the end of MMP period i.e. up to 31/03/2019 whereas, 41.48 Ha. area in all heads has been utilized so far. Hence without any proposal excess area has been utilized.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर—440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री डी० के० मेहता, वॉइस प्रेसीडेन्ट एवं ऐजेंट (माईन्स), ग्राम—मलपुरी खुर्द, खसारीडीह, पोस्ट—अहिरवारा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)— 490 036

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर